कार्यवाही विवरण

मेसर्स क्रस्ट स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जोरातराई, पोस्ट–मनगट्टा, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant and Regularization of partly constructed Iron Ore Pellet Plant of DRI Sponge Iron (4 x 350 TPD) - 5,60,000 TPA, Iron Ore Beneficiation Plant - 1.8 MTPA, Iron Ore Pellet Plant (for Regularization) - 1.4 MTPA, Blast Furnace of 650 Cum - 7,28,000 TPA, Sinter Plant - 6,00,000 TPA, Coke Oven Plant {non recovery vertical shaft with WHRB type (2x 0.18 MTPA)} - 3,60,000 TPA, Steel Melting Shop {Induction Furnace (4 x 15 TPH) - 1,92,000 TPA, Electric Arc Furnace with LRF, VOD, CCM (2 x 60 T) - 9,50,400 TPA}- Rolling Mill (TMT Bars/wire rod radial tyre wire) - 4,00,000 TPA, Hot Strip Mill (HR coil), ERW pipe/rectangle/square sections - 4,00,000 TPA, Oxygen Plant - 620 TPD, CPP { WHRB (2 x 16 MW)}- 32 MW, WHRB from Coke Oven (2x 15 MW) - 30 MW, CPP {FBB (1 x 8 MW & 2x 35 MW)} - 78 MW, Coal Washery - 1.0 MTPA, Railway Siding - 3.0 MTPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई हेतु दिनांक 14.12.2022 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–कम्पनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नं.–1172/1 स्थित, ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेसर्स क्रस्ट स्टील एंड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–जोरातराई, पोस्ट–मनगट्टा, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में Expansion of Steel Plant and Regularization of partly constructed Iron Ore Pellet Plant of DRI Sponge Iron (4 x 350 TPD) - 5,60,000 TPA, Iron Ore Beneficiation Plant - 1.8 MTPA, Iron Ore Pellet Plant (for Regularization) - 1.4 MTPA, Blast Furnace of 650 Cum - 7,28,000 TPA, Sinter Plant - 6,00,000 TPA, Coke Oven Plant {non recovery vertical shaft with WHRB type (2x 0.18 MTPA)} - 3,60,000 TPA, Steel Melting Shop {Induction Furnace (4 x 15 TPH) - 1,92,000 TPA, Electric Arc Furnace with LRF, VOD, CCM (2 x 60 T) - 9,50,400 TPA}- Rolling Mill (TMT Bars/wire rod radial tyre wire) - 4,00,000 TPA, Hot Strip Mill (HR coil), ERW pipe/rectangle/square sections - 4,00,000 TPA, Oxygen Plant - 620 TPD, CPP { WHRB (2 x 16 MW)}- 32 MW, WHRB from Coke Oven (2x 15 MW) - 30 MW, CPP {FBB (1 x 8 MW & 2x 35 MW)} - 78 MW, Coal Washery - 1.0 MTPA, Railway Siding - 3.0 MTPA के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत् परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली दिनांक 12.11.2022 एवं दैनिक समाचार पत्र नवभारत, सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ दिनांक 12.11.2022 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 14.12.2022 को समय प्रातः 11:00 बजे, स्थान–कम्पनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नं. –1172/1 स्थित, ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला–राजनांदगांव, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला–राजनांदगांव, सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत जोरातराई, जिला–राजनांदगांव, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां लोक सुनवाई की सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 14.12.2022 को प्रातः 11:23 बजे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव की अध्यक्षता में स्थान–कम्पनी द्वारा प्रस्तावित स्थल खसरा नं.–1172/1 स्थित, ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् उक्त परियोजना की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट डॉ0 शिल्पा अलंग, पोल्यूशन एण्ड ईकोलॉजी कंट्रोल सर्विसेस, नागपुर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

तदोपरान्त अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव द्वारा निर्धारित तिथि समय एवं स्थल पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री संतोष कुमार साहू, सरपंच, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ गांव की मांगे इस प्रकार है – गांव के शिक्षित बेरोजागारों को ट्रेनिंग के अनुसार रोजगार दिया जाये, गांव को गोद लिया जाये, गांव में एम्बुलेंस सुविधा प्रदान की जाये, प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था किया जाये, बिजली की व्यवस्था किया जाये, मीडिल स्कूल की व्यवस्था की जाये, आंगनबाड़ी में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था किया जाये,

युवाओं के लिये जीम की व्यवस्था किया जाये, शीतला सामुदायिक भवन का जीर्णोद्वार किया जाये, प्रत्येक 3 माह स्वास्थ्य शिविर लगाया जाये, किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाये, गांव के निस्तारी तालाब में बोरवेल लगाया जाये, इन शर्तो का पालन किया जाये तो ग्राम पंचायत की ओर से अनापत्ति प्रदान किया जायेगा।

2. **श्री मोनेश कुमार दनकर, , ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ गांव में मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण के लिये व्यवस्था किया जाये।

3. **श्री हेमचंद यादव, डोंगरगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस, जिला–राजनांदगांव।**

➢ योग्य नवयुवकों को योग्यतानुसार रोजगार के लिये केम्प लगाया जाये। लोगों को स्कील डेवलपमेनट के लिये ग्रीष्मकाल में ट्रेनिंग दिया जाये।

4. **श्री देवेन्द्र कुमार वैष्णव, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ कस्ट स्टील पूर्व से संचालित है। ग्राम के प्रत्येक कार्यक्रम में एवं मूलभूत सुविधायें प्रदान करते हैं। भविष्य में भी ऐसी सुविधा मिलने की उम्मीद है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। पर्यावरण की समस्या के निवारण के लिये विशेष रूप से ध्यान देंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाते रहेंगे।

5. **श्री लालजी गुप्ता , ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। उद्योगों का कार्य है कि रोजगार उपलब्ध है, यह प्रशंसनीय है। उद्योग लगने चाहिए। यह आवश्यक है। उद्योग का विस्तारीकरण हो रहा है, यह अच्छी बात है। लोगों को योग्यतानुसार रोजगार मिलना चाहिए यही आशा करते हैं। सभी प्लाण्ट निरंतर आगे बढ़ते रहे हम यही आशा रखते हैं।

6. **श्री गैन्दलाल धनकर , ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी के संचालित होते 18 वर्ष हो गये, किसान एवं आम जनता के हित में काम नहीं हुआ है, प्रदूषण के कारण फसलों में बिमारियॉ हो रही है जिससे किसानों को हानि हो रही है। रात में अत्यधिक प्रदूषण होता है जिससे लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही हैं। प्रकृति के विभिन्न पेड़ प्रदूषण के चलते उग नही पा रहे हैं। नदी, नाला, तालाबों में दिखने जीव–जन्तु अब नही दिख रहे हैं। पशु–पक्षियों की संख्या कम हो रही है, मूलभूत सुविधा पेयजल, चिकित्यालय की व्यवस्था नही किया गया है। बोनस वेतन ठीक से नही दिया जा रहा है। विरोध करने वाले मजदूरों को काम से निकाल दिया जाता है। कंपनी के विस्तारीकरण से दूसरे राज्य के लोगों को काम पर रखा जायेगा एवं स्थानीय लोगों को मजदूर बनाकर रखा जाता है। प्रबंधक गांव के प्रतिनिधियों को प्रलोभन देकर मुंह बन्द कर देते हैं। कंपनी के विस्तारीकरण से जन प्रतिनिधियों को लाभ होगा, परन्तु स्थानीय लोगों को मजदूरों को कोई लाभ नही होगा। पूर्व में भी मजदूरों को काम नही है बोलकर काम से बाहर निकाला जाता है है तथा बाहरी लोगों को ठेकेदारी के रूप में ले लिया जाता है, अतः कंपनी के विस्तारीकरण से आसपास के स्थानीय लोगों मजदूरों, किसानों को कोई लाभ नही है। कृषि भूमि बंजर हो जायेगा। आम जनता किसानों शिक्षित जनता सभी एक साथ मिलकर विरोध करते हैं।

7. **श्री चक्रधर मिश्रा, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ औद्योगिक क्षेत्र का जन्म ग्राम रसमड़ा से हुआ है। इस उद्योग का जन्म ग्राम रसमड़ा से हुआ है। यह उद्योग निरंतर बढ़ता रहे। उद्योग गांव के हित में सदैव कार्य करता रहे। गांव के विकास में ध्यान दे। मेरा समर्थन है।

8. **श्री मनोज निर्मलकर, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ इससे पूर्व जन सुनवाई आयोजित किया गया था। जिसमें कहा गया था कि सड़कों में बिजली लग जायेगी, मूलभूत सुविधायें स्थापित कर लिया जायेगा, परन्तु नही हुआ। यह उद्योग अब तो नया प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है। गांव में स्कूल एवं अन्य आवश्यकताओं में उद्योग को सहयोग किया जाना चाहिए। यहां गांव में काम करने वाले स्थानीय लोग ही दलाल बनकर दूसरों का पैसा खा जाते हैं। उद्योग को शांतिपूर्वक संचालित करने के लिये नये प्रबंधक से निवेदन है कि दिवाली आदि त्यौहारों में मजदूरों एवं स्थानीय लोगों को सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। उद्योग में काम करने वाले ठेकेदारों को मजदूरों का दस रूपये खाने का अधिकार नही है। कंपनी सुचारू रूप से संचालित किया जाये।

9. **श्री रमाकांत साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मे ए बोलना चाहत हो कि क्रस्ट कोई नया कंपनी नही है 17–18 साल से संचालित होवत हे। मैनेजमेन्ट जब 2007–08 में एनओसी ले रहीस तो कंपनी गांव के कार्यक्रम में सम्मिलित होयके वादा करे रिहीस पर सहभागिता नइ हे। कलेक्टर दर पर मजदूरी नही हो रहा है। नया मैनेजमेन्ट भी ऐसी ही करही। गांव में एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था नही है। स्थानीय जनता एवं जन प्रतिनिधियों के शर्त को पूरा करने पर ही कंपनी के विस्तारीकरण होय वरना मत हो।

10. **श्री भोजराम साहू , ग्राम–मनगटा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं टॉपवर्थ में 12–13 साल से कार्यरत हूं। समस्या पूरी रसमड़ा क्षेत्र का है। कंपनी 21 माह से बन्द था। परन्तु हमें सिर्फ 12 माह का तन्खा मिला है। बाकी पैसा के लिये दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। आज का यह शिविर कंपनी के एनओसी के लिये लगाया गया है। मैं सभी लोगों को जागरूक होने का अनुरोध करता हूं। कंपनी वाले मजदूरों को समय पर वेतन नही दे रहा है। सभी जागो। बाकी महिनों का तनख्वाह भी मिलना चाहिए। रायपुर पावर से सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। स्थानीय बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए। पूर्वजों का कहना है कि कंपनी से बहुत सारी सुविधायें मिलती है परन्तु तो हमें वास्तव में नहीं मिली है। सभी किसानों और मजदूरों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। पिछले 9 माह का पैसा का तनख्वाह मिलना चाहिए। बच्चे बेरोजगारों को सबसे पहले काम मिलना चाहिए फिर नया भर्ती लेना चाहिए। तभी कंपनी का विस्तार करना चाहिए।

11. **श्री डेरहाराम साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मैं क्रस्ट स्टील पावर में 18 साल से काम रहा हूं। मैं प्लाण्टेशन में काम प्रबंधन से मांगा, पर वर्तमान में स्टील शॉप में काम करता हूं। आज धूल और डस्ट हमारे किसान और मजदूर खा रहे हैं। लोगों को रोजगार देंगे बोलकर रोजगार नही दिया जाता है।

क्रस्ट के संचालक संजय बाफना सस्ते कीमत में मजदूरों से जमीन खरीदा और उसका कीमत दुगुना करके चला गया। तीसरा संचालक लोढ़हा जी ने 01 तारीख को मजदूरों का तनख्वाह देने की बात कहा, परन्तु नही मिलता है। मेरा 21 माह का वेतन बकाया है। प्लाण्ट मालिक 16 बैंकों से लोन लिया लेकिन चुका नही पाया, दिवालिया घोषित हो गया। हमको सिर्फ 12 महिनों का वेतन मिला, 9 महिनों का बाकी है। दो साल का बोनस भी बाकी है। कल हम अपने प्रतिनिधियों के साथ कंपनी प्रबंधन से बात किये हैं, यदि मजदूरों की मांग को माना जायेगा, तो कंपनी संचालित होगा, वरना कंपनी बन्द हो जायेगा। प्लाण्ट लगाये रोजगार दे। गन्दगी न फैलाये। लोग पीएफ एसआई के लिये भटक रहे हैं। श्रम कानून का पालन हो। लोगों को स्थायी रोजगार मिले। जहां पर सभी लोग धरती पर उगे अन्न खाकर ही जीवित रहेंगे। लोहा खाकर जीवित नही रहेंगे। मजदूरों का पैसा व्यर्थ में दलालों को न जाये, मजदूरों को उनके पसीने का पैसा मिले।

12. श्री जितेन्द्र साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ प्लाण्ट लगाना ठीक बात है। पर क्षेत्र के किसानों के खेत के फसल को क्षति हो रहा है, इसीलिये प्रत्येक किसान के लिये कम से कम 50 लाख का बीमा होना चाहिए। ये सभी कार्य कागजों पर ही होता है पर इनके बातों को कोई ध्यान नही देता है। कंपनी में काम करने वाले मजदूर और मजदूर नेता सबसे पहले सुधर जाये, कंपनी अपने आप सुधर जायेगा। रसमड़ा में बहुत सारे उद्योग है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। पर बाहरी लोगों को पहले रोजगार दिया जाता है, बाद में स्थानीय लोगों को दिया जाता है। सीएसआर की राशि से विकास होना है। इसका हिसाब लेना चाहिए सरपंच लोगों को। सरपंच लोगों को सीएसआर का ध्यान रखना चाहिए। क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को

13. श्री नेमीचंद साहू , ग्राम–मगटा, जिला–राजनांदगांव।

➢ मजदूरों को स्थायी रूप से काम पर रखे।

14. श्री टिकेश कुमार, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ हम सबसे हस्ताक्षर क्यों लिया जा रहा है। पीएफ एसआई की व्यवस्था कंपनी को करनी चाहिए। हम हिन्दी वाले पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे।

15. श्री मनोहर साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ काम के दौरान 4 आदमी क्रस्ट में खत्म हुआ है तो उनके परिवार के सदस्य को कंपनी में काम मिलना चाहिए। संपूर्ण मुआवजा राशि उसे मिलनी चाहिए। स्थानीय बेरोजगारो को सबसे पहले रोजगार मिलना चाहिए तो कंपनी के विस्तारीकरण में कोई विरोध नही है। बेरोजगार यहां गली–गली नहीं घुमना चाहिए। पहले स्थानीय गांव के लोगों को ठेकेदार काम पर लेना चाहिए। हमें रोजगार चाहिए।

16. श्री रामसिंग साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ प्लाण्ट के विस्तारीकरण के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। .

17. **श्रीमती कामली साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ हम महिला गांव में संचालित महिला समूह द्वारा गौठान के लिये सहयोग राशि मांग रहे हैं, गांव में पशुओं की दुर्घटना का मुआवजा मिलना चाहिए। महिला समूह को भी सहयोग राशि मिलना चाहिए।

18. **श्री खिलावन दास साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मुझे क्रस्ट स्टील में 6वा महिना के बाद मुझे कंपनी से बाहर कर दिया गया, मुझे पेंशन नहीं दिया गया है।

19. **श्री तुलादास साहू, जनपद सदस्य अंजोरा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ आज जनसुनवाई में मैं सबकी बात सुना। इस जनसुनवाई में काफी शिकायत है। लोगों को 6–9 माह का पेमेन्ट नही मिला है। किसानों को फसल में काफी नुकसान हुआ हैं इसके लिये हम आंदोलन भी करते हैं। समस्या का निराकरण होना चाहिए। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के बाजवूद कंपनी में काम नहीं मिलता है। बाहरी लोगों को काम पर रखा गया है। उद्योग लगे पर प्रदूषण न हो, किसानों की फसल को नुकसान न पहुंचे। स्थानीय जन प्रतिनिधियों की बात को कंपनी प्रबंधन द्वारा ध्यान दे।

20. **श्री अजय वैष्णव जनपद सदस्य, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ सीएसआर मद का राशि कहां जाता है। पंचायत को नही जाता है। कंपनी वाले नुकसान में होने की बात करते हैं। क्रस्ट का आधा हिस्सा रसमड़ा में आता है, परन्तु वहां पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्रदूषण रसमड़ा में होता है परन्तु वृक्षारोपण मनगटा में किया जाता है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सीएसआर मद का हिसाब चाहिए। रसमड़ा की सड़क में बहुत ज्यादा धूल है। वृक्षारोपण करवाने के लिये पंचायत के लोग तैयार हैं परन्तु सीएसआईडीसी द्वारा जमीन उपलब्ध नही कराई जा रही है।

21. **श्री चंद्रकांत साहू, ग्राम–कोपेडीह, जिला–राजनांदगांव।**

➢ उद्योग से प्रदूषण कितना होगा यह बताये। प्रदूषण से लोग बीमार हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण के बारे में कृपया बताये।

22. **श्री भुवनेश्वर बघेल, विधायक डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी बन्द होने के बाद आज पुनः प्रारंभ हुआ है, आज कंपनी के विस्तारकरण की बात हो रहा है, आज जितनी बात होगी उसे लिखित रूप में दर्ज किया जायेगा। कुछ बिन्दुओं का पालन किया जायेगा कुछ का पालन नही किया जायेगा। कंपनी बन्द होने से बहुत लोग बेरोजगार हो जाते हैं। शासन को उद्योग नीति का पालन होना चाहिए। कंपनी के द्वारा किये गये वादों को पूरा किया जाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रदूषण के कारण आधे से अधिक बीमार होंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिये विशेष ध्यान दिया जाये एवं वृक्षारोपण किया जाये। मजदूर साथियों द्वारा रखे गये मांग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेजयल पर विशेष ध्यान दिया जाये। मजदूर साथियों को रोजगार दिया जाये। छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग नीति बहुत अच्छी है। कंपनी के लिये भूमि अधिग्रहण प्रारंभ होने के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के लिये ट्रेनिंग

उपलब्ध करवाया जाये। जिससे स्थानीय लोगों को विशेष रूप से लाभ मिले न की बाहरी लोगों को काम मिले। मजदूर साथियों का निधन हो जाने से परिवार के योग्य व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए। क्रस्ट स्टील अच्छा से चले, लोगों को रोजगार मिले। मजदूर साथियों के द्वारा किये गये शिकायतों का निराकरण किया जाये।

23. श्री धनेन्द्र साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ प्लाण्ट लगने से प्रदूषण की बात होगी, कंपनी का विस्तारीकरण से प्रदूषण न हो। रात में प्रदूषण ज्यादा होता है, रात में निरीक्षण होना चाहिए, प्रदूषण मापन की मशीन लगानी चाहिए। प्रदूषण होगा तो फसलों को नुकसान पहुंचेगा। कंपनी का विस्तारीकरण होना चाहिए परन्तु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।

24. श्रीमती मीरा साहू, मनगटा सरपंच, जिला–राजनांदगांव।

➢ कंपनी का समर्थन करना चाहूंगी, यदि गांव में वृक्षारोपण हो, गांव के भाईयों को रोजगार मिले, मनगटा के ग्रामीणों को रोजगार मिले, गांव के कार्यक्रमों में सहयोग मिले, मेडिकल शिविर समय समय पर होना चाहिए।

25. श्री पंचराम साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ आज मैं क्रस्ट स्टीले में 14 साल काम किया हू, मेरा एक्सीडेन्ट हो गया, व्ही.वाय. में ईलाज करवाया, मेरे पुत्र को कंपनी में काम देने का बात कहा गया, पर आज तक काम में नही लिया गया।

26. श्रीमती ममता साहू,, सरपंच, ग्राम–रसमड़ा, जिला–दुर्ग।

➢ उद्योग से रसमड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। कंपनी विस्तारीकरण हो रहा है, तो प्रदूषण की रोकथाम के लिये व्यवस्था किया जाये, हम लोग सुबह–शाम सड़क पर आ–जा नही सकते, इसीलिये प्रदूषण रोकथाम की व्यवस्थ करवाया जाये, वृक्षारोपण करवाया जाये, लोगों को योग्यता अनुसार रोजगार दिया जाये। बिगडैल मजदूरों की सूचना जन प्रतिनिधि को दिया जाये, जिससे समाधान निकाला जा सके। उक्त बातों को ध्यान दिया जाये।

27. श्रीमती निर्मला साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।

➢ कंपनी खुलने से गांव एवं महिला स्वसहायता समूह की भी भलाई हो यही हमारी मांग है।

28. श्री यशवंत मानिकपुरी, जिला–राजनांदगांव।

➢ मैं क्रस्ट स्टील में प्लाण्ट शुरू होने से कार्य कर रहा हूं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट में काम करता हूं, आईटीआई का कम्पलिट करने के बाद भी मुझे लेबर ग्रुप में रखा गया है, मुझे टेक्नीशियन के रूप में पदोन्नत किया जाना चाहिए। मैं अनुभवी भी हूं, मैं टेक्नीशियन के रूप में पदोन्नत करने का अनुरोध करना चाहता हूं। मैं यहां का स्थानीय हूं। मुझे प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

29. श्री जितेन्द्र कुमार निषाद, जिला–राजनांदगांव।

➢ मैं क्रस्ट स्टील में काम करता हूं, हमें पूरी तनख्वाह नही मिला है, पूरा वेतन मिलने के लिये हमें पेशी का चक्कर लगाना पड़ता है, मैं पिछले 15 साल से कंपनी में काम कर

रहा हूं फिर भी मेरा वेतन नये लोगों के वेतन के बराबर है। हमें पिछले 2 साल से बोनस नहीं दिया गया है। हमारे समस्याओं का समाधान हो।

30. **श्री देवलाल गजपाल, ग्राम–मनगटा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ मजदूर अपनी समस्या यहां बताये हैं, इसके लिये भी यहां शिविर रखा गया है, इसी प्रकार की शिविर समस्याओं के निराकरण के लिये समय–समय पर रखा जाना चाहिए। जिससे कंपनी प्रबंधन एवं मजदूरों के मध्य तालमेल बना रहे। दोनों मिलजुलकर काम करे।

31. **श्रीमती लता बाई पाल, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यहां प्लाण्ट खुला रहा है, लेकिन काम करने के लिये पुरूषों के साथ साथ महिलाओं को भी काम दिया जाये, कंपनी द्वारा भेदभाव किया जाता है, कोरोना काल में जिनको काम नही मिला उनको भी वेतन मिलना चाहिए।

32. **श्री दुर्योधन साहू, ग्राम–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव।**

➢ कंपनी का विस्तारीकरण किया जा रहा है, कंपनी में काम पर तो रखा जायेगा परन्तु कुशलता का परीक्षण समय समय पर भी होना चाहिए जिससे कंपनी में लोग बने रहे।

33. **श्री सुदेश टीकम, जिला किसान संघ संयोजक, जिला–राजनांदगांव।**

➢ स्थानीय किसान द्वारा आपत्ति किया गया है, विस्तारीकरण से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का बात बताया जायेगा, ईआईए रिपोर्ट स्थानीय भाषा में उपलबध करवाया जाये, सभी किसान और मजदूर की ओर से इस विस्तारीकरण का विरोध करते हैं क्योंकि यहां मजदूरों के हित का एवं पर्यावरण नियमों का निरंतर उल्लंघन किया जा रहा है। श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। सबसे बड़ा समस्या पर्यावरण का है, डस्ट से कृषि भूमि बंजर हो जायेगा, कृषि भूमि पर पुर्नउत्पादन नही हो पायेगा, पशु–पक्षियों तथा तालाब पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लोगों की उत्पादक क्षमता प्रभावित होगी। जैव विविधता भी विशेष रूप से प्रभावित होगी। प्रदूषण के चलते लोग यहां पर रह नही पायेंगे। खेती, जीव–जन्तु एवं मनुष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। हम सभी किसान मजदूर विस्तारीकरण का विरोध करते हैं। पर्यावरण विरोध, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कार्य का विरोध किया जाता है।

34. **श्री तुलसी देवदास, छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा, सोमनी, जिला–राजनांदगांव।**

➢ अभी तक के जनसुनवाई को देख के ऐसा लगा रहा है कि शासन का खानापूर्ति हो रहा है। पूर्व में उद्योग लगाने के समय मोतीलाल वोरा जी के समय लोगों को रोजगार देने और विकास करने की बात कहा गया। आज यहां बाहरी लोगों को काम पर रखा जा रहा है। स्थानीय लोगों को काम पर नहीं रखा जाता है। यहां पर प्रदूषण हो रहा है। क्रस्ट में 21 माह बन्द था, जिसमें मजदूरों को 12 महिने का वेतन दिया गया, बाकी 9 महिने का वेतन अभी भी नही मिला है।

35. **श्री भीमराम बागड़े, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मुक्तिमोर्चा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ यहां जन सुनवाई का स्वागत करते है। कंपनी यदि लगता है तो उसमें काम करने वालों की स्थिति देखना चाहिए। यहां कंपनी लगने के पूर्व जमीन अधिग्रहण किया गया, लोगों को मुआवजा दिया गया। कंपनी लगा तो बेरोजगारों की सूची प्रबंधन को दिया गया, परन्तु हकीकत यह है कि स्थानीय बेरोजगार यदि काम मांगने जाते हैं तो आधार कार्ड देखकर स्थानीय लोगों को काम पर नहीं रखा जाता है। रसमड़ा क्षेत्र में प्रदूषण के चलते एक घण्टे खड़ा नही हो सकते, बच्चे आंगन में खेल नही सकते, यहां जो लोग अपनी बात रखते हैं, उनके मांग पूरी हो जाती है, यहां कंपनी खुल रहा है, तो उस क्षेत्र की विकास की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, प्रदूषण की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्रस्ट में आज लगभग 8सौ लोग काम करते है। जिसमें से 2सौ लोग नियमित है और बाकी 6सौ लोग ठेकेदार के लोग हैं, यदि कोई व्यवधान उत्पन्न करता है तो ठेकेदार का ठेकेदारी रद्द कर दिया जाता है। कंपनी को 21 माह तक बन्द रखा गया, कंपनी शासन के अनुसार बन्द और चालू होता है। 12 माह का वेतन दिया गया है तथा 9 माह का वेतन नहीं दिया गया हैं। ठेकेदार के मजदूरों को 21 माह का वेतन नही मिला है। कंपनी में चलने वाला मशीन स्थायी है। पर उसमें काम करने वाला मजदूर अस्थायी है। इसीलिये ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त कर के स्थायी मजदूर रखा जाना चाहिए। कंपनी लगेगा तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये ठीक बात है लेकिन इससे प्रदूषण होगा तो किसान और मजदूरों को नुकसान होगा। इस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रदूषण रायपुर स्टील से होता है। मनगटा, जोरातराई क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने के लिये दुर्ग जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। अब प्रदूषण समाप्त होगा की नही देखते हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया है कि प्रदूषण समाप्त हो। कंपनी यदि बन्द होता भी है तो मजदूरों को पूरा मजदूरी मिलना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। मजदूरों को क्रस्ट में शेष सभी माह का वेतन मिलना चाहिए। 16 दिसंबर को श्रम विभाग में मीटिंग है पर कंपनी उपस्थित नही होता है। टॉपवर्थ कंपनी का 15 माह का वेतन नही मिला है। कंपनी बन्द हुआ है तो भी मजदूरों को मजदूरी मिलना चाहिए। मजदूरों की कानूनी अज्ञानता का लाभ नही उठाना चाहिए। ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ठेकेदारी व्यवस्था अस्थायी काम में होना चाहिए, स्थायी में नही होना चाहिए। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि मजदूरों का वेतन जिसे कंपनी ने गबन कर दिया है, उसे मजदूरों को दिलाया जाये, कंपनी यदि उन्हें फिर से चालू करेगा तो पहले प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था किया जाये, फिर लोगों की बात सुना जाये और कंपनी शुरू किया जाये। जिससे जनता को कोई दिक्कत नही होगी। सबसे पहले स्थानीय लोगों को काम दिया जाये, उसके बाद बाहरी लोगों को काम दिया जाये। पहले यहां के 80 प्रतिशत लोगों को काम दिया जाये, यहां के भाई–बहन काम करने से धूल–धूल हो जाते हैं। पर मजदूरों के लिये कंपनी कोई काम नही कर रहा है। कंपनी हर माह गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाये। प्रदूषण चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये। रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र में नियम कानून लागू हो। श्रम विभाग जाते हैं तो श्रम निरीक्षक श्रम न्यायालय में जाता है, श्रम न्यायालय में श्रम निरीक्षक उपस्थित नही होता है, और केस खारिज कर दिया जाता है, हमारा यही मांग है कि लोगों को काम दिया जाये, उनको पीएफ एसआई का पैसा दिया जाये, भेंट मुलाकात में ज्ञापन दिया जाता है, श्रम विभाग में आवश्यकतानुसार भर्तियां किया जाये, एक निवेदन है कि रसमड़ा क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त किया जाये, रायपुर पावर के पास रात में तीव्र ध्वनि उत्पन्न होता है। रायपुर

पावर का प्रदूषण लोगों के घरों के क्षत के उपर जम रहा है। क्रस्ट में कार्यरत 8सौ में से 2सौ स्थायी लोगों को पूरे 21 माह का वेतन दिया गया, लेकिन बाकी 6सौ लोगों को पूरा वेतन नही दिया गया।

36. **श्री कुलेश्वर कुमार, ग्राम—सिलोदा, जिला—राजनांदगांव।**

- ➢ मैं क्रस्ट पावर के एसएमएस में सुपरवाईजर हूं। मैं चाहता हूं कि लोगों को रोजगार मिले, इसीलिये कंपनी का विस्तार हो। रायपुर पावर के पास बहुत ज्यादा डस्ट है वहां प्रदूषण खत्म होना चाहिए।

37. **श्री सुरेश यादव, ग्राम—जोरातराई, जिला—राजनांदगांव।**

- ➢ बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, इसीलिये कंपनी का विस्तारीकरण होना चाहिए।

38. **श्री संतोष कुमार भारद्वाज, ग्राम—जांजगिर चाम्पा।**

- ➢ प्लाण्ट खुलने से हम सबका विकास होता है, कानून सबके लिये है, हम सब को रोजगार मिलेगा।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावकों को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावकों की ओर से प्रतिनिधि / कंसलटेन्ट श्री वेंकट नारायण, उद्योग प्रबंधन प्रतिनधि द्वारा परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जो कि निम्नानुसार है :—

- ❖ वायु प्रदूषण को रोकने के लिये टैंकर के माध्यम से रोड पर जल छिड़काव किया जायेगा।
- ❖ उद्योग में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु व्यवस्था के बाद ही प्रारंभ किया जायेगा। बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण के उद्योग नहीं चलेगा।
- ❖ दूषित जल का बाहर निस्सारण नही होगा, शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी। उद्योग में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिये ईएसपी लगाया जायेगा।
- ❖ आनलाईन कन्टीनयूअस मानीटरिंग सिस्टम के माध्यम से प्रदूषण स्तर का मापन किया जायेगा।
- ❖ उद्योग में अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। उद्योग प्रबंधन द्वारा और भी वृक्षारोपण किया जायेगा। उद्योग एवं आसपास के क्षेत्र में जगह चिन्हित कर स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ और वृक्षारोपण भी किया जायेगा।
- ❖ स्थानीय गांव में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था किया जायेगा। प्रत्येक गांव के चौराहो में सीसी टीवी कैमरा लगाया जायेगा। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव आने के पश्चात् यह कार्य एक माह के अंदर कर लिया जायेगा। जिससे गांव में होने वाले गलत काम को ट्रेक किया जा सके। कोई भी उपकरण सीसी टीवी, स्ट्रीट लाईट में अगर कोई समस्या आयेगी तो मुझे तत्काल संपर्क कर सके हैं।

- गांव के लिये अलग से एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जायेगी। 15 मिनट के अंदर गांव में एम्बुलेन्स पहुंच जायेगा।
- गांव में स्कूल में क्या कमी है उस समस्या को दूर किया जायेगा, टेबल कुर्सी की व्यवस्था की जायेगी, प्राईमरी हेल्थ सेंटर पर्याप्त सुविधा किया जायेगा। पंचायत से प्रस्ताव लिया जाकर इसकी व्यवस्था की जायेगी।
- सभी गांव में हेल्थ चेकअप करवाया जायेगा, डॉक्टर द्वारा दवाई भी वितरित की जायेगी, मैं बारचार्ट के आधार पर काम करता हूं।
- मैं ग्रामसभा में एक माह में आता हूं सभी समस्या के बारे में विचार विमर्श करता हूं। उसके बाद मेरे द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।
- स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पीने के लिये पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
- कंपनी का प्रोजेक्ट कम्पलीट होने के बाद हमारे द्वारा स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार रोजगार दिया जायेगा।
- मेहनती व लगनशील युवकों को कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग दिया जायेगा जिससे उनका पदोन्नति होगी।
- स्कूल में बच्चों के लिये टायलेट की व्यवस्था एवं उसकी मरम्मत किया जायेगा।
- ग्राम जोरातराई पंचायत में मीडिल स्कूल के लिये शासन से बात करने के लिये तैयार है। मिलजुलकर सरकार से मीडिल स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे।
- कर्मचारियों के लिये पीएच, ग्रेज्युटी, एसआई आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
- कंपनी में महिला वर्ग को योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा।
- विगत दो माह से नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। समय समय पर भी इसकी टाईम टेबल से अवगत कराया जायेगा।
- गर्मी के दिनों में पेयजल के लिये टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति किया जायेगा। कंपनी के साथ साथ गांव में भी विकास किया जायेगा। कोई भी समस्या आने पर मिलजुलकर निवारण किया जायेगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित मे 254 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 38 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका– टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से कुल 88 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–राजनांदगांव द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 03.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

Vijaypeste 14.12.2022
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

14/12/22
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–राजनांदगांव